Notified on 15-05-2009
Dated: 1st May, 2009

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 01 मई, 2009

क्रमांक – 921/मप्रविनिआ/2009. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 91(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा म.प्र. राजपत्र में दिनांक 30 जनवरी, 2009 को अधिसूचित मप्रविनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में निम्न संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : (i) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 {एआरजी6 (I) (i), वर्ष 2009}"** कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. विनियम 12 में संशोधन :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में विनियम 12 के उपरान्त निम्न **विनियम 12 (A)** अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

12 (अ) स्थाई विधिक अधिवक्ता (Standing Legal Counsel) की नियुक्ति

क. नियुक्ति की शर्तें :

(i) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) हेतु स्थाई विधिक अधिवक्ता नियुक्त किये जावेंगे । नियुक्त किये जाने वाले स्थाई विधिक अधिवक्ताओं की संख्या आयोग द्वारा कार्य की मात्रा के अनुसार निर्धारित की जाएगी । ऐसे प्रकरणों में स्थाई विधिक अधिक्ताओं में से एक को प्रमुख स्थाई विधिक अधिवक्ता पदाभिहित किया जाएगा, अन्यथा एकल स्थाई विधिक अधिवक्ता ही प्रमुख स्थाई विधिक अधिवक्ता होगा ।

(ii) (क) उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्ष सेवाएं प्रदान करने वाले अधिवक्ता को ही उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में स्थाई विधिक अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा ।

(ख) उन्हें विद्युत संबंधी अधिनियमों तथा नियमों से संबंधित प्रकरणों के संव्यवहार का अनुभव होना चाहिए ।

(iii) प्रथमतः, नियुक्ति तीन वर्षों अथवा इससे कम अवधि हेतु की जाएगी तथा इसे समय–समय पर ऐसी अवधियों हेतु जारी रखा जाएगा जैसा कि आयोग किसी आदेश द्वारा निर्देशित करे ।

(iv) स्थाई विधिक अधिवक्ता की सेवाएं दोनों पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा एक माह की लिखित सूचना द्वारा समाप्तियोग्य होंगी ।

(v) आयोग उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा फोरम में से किसी के समक्ष किसी विशिष्ट प्रकरण में, प्रकरण के प्रकार तथा ऐसे प्रकरण से संबंधित विषय में धारित विशेषता पर निर्भर, अन्य किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(ख) वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति :

आयोग, यदि उचित समझे तो वह स्थाई विधिक अधिवक्ता के परामर्शानुसार किसी न्यायाधिकरण अथवा किसी न्यायालय में किसी प्रकरण में वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त कर सकेगा ।

(ग) कर्तव्य :

प्रमुख स्थाई विधिक अधिवक्ता के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :

(अ) आयोग तथा उसके कार्यकारी प्रमुखों को आवश्यकता पड़ने पर ऐसे समस्त विषयों पर जिनमें विधिक जटिलताएं अर्न्तनिहित हों, अपना परामर्श तथा मत प्रदान करना ।

(ब) करारनामे (agreements), विलेख (Deeds) तथा अन्य अभिलेख तैयार करना, निर्धारित करना तथा उनका सूक्ष्म परीक्षण करना जैसा कि वे आयोग अथवा कार्यकारी प्रमुखों द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जावें ।

(स) शपथ–पत्र (affidavit), जवाबी शपथ–पत्र (Counter affidavit), याचिकाएं, प्रकरणों के विवरण तथा अन्य संबंधित अभिलेख तैयार करना जिनमें वह आयोग की ओर से उपस्थित हो ।

(द) आयोग की ओर से उसे आवंटित किये गये समस्त प्रकरणों अथवा प्रकरण–श्रेणियों में उपस्थित होना जहां आयोग एक पक्षकार हो अथवा सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष उसके हित अन्तर्निहित हों तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधिकरण के समक्ष भी उपस्थित होना ।

(ई) उसे सौंपे गये समस्त प्रकरणों में यथासंभव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना तथा केवल अपरिहार्य तथा अनवेक्षित आकस्मिकताओं में ही कनिष्ठों को प्रकरण सौंपना जिसे केवल आयोग की पूर्व सहमति के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ।

(फ) विधिक प्रकार के ऐसे समस्त कार्य निष्पादित करना जैसे कि वे आयोग द्वारा समय–समय पर उसे सौंपे जाएं ।

(घ) प्रमुख स्थाई विधिक अधिवक्ता द्वारा आयोग के विरूद्ध हितों का प्रतिनिधित्व न करना:

प्रमुख स्थाई विधिक अधिवक्ता आयोग के विरूद्ध किसी भी प्रकरण में न तो उपस्थित होगा अथवा न ही उसका प्रतिनिधित्व करेगा अथवा अन्यों को किसी भी प्रकरण में आयोग के हितों के विरूद्ध अपना मत अथवा परामर्श देगा ।

(ड.) मानदेय (Honorarium):

उपरोक्त विनियम 'ग (कर्तव्य)'' में उल्लेखित कर्तव्यों के निर्वहन में प्रमुख स्थाई विधिक अधिवक्ता को उच्च न्यायालय हेतु रू. 5000/– प्रतिमाह का प्रतिधारक शुल्क (Retainer fee) का भुगतान किया जाएगा । यह शुल्क स्थाई विधिक अधिवक्ता को निर्दिष्ट शुल्क के अतिरिक्त देय होगा ।

(च) शुल्क (Fees) :–

1. स्थाई विधिक अधिवक्ता को समस्त न्यायालयीन विधिक कार्यवाहियों के संबंध में, जैसा कि वह प्रकरण में लागू हो, शुल्क का भुगतान संलग्न परिशिष्ट में संलग्न की गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा । आयोग अनुसूची में निर्धारित किये गये शुल्क से अधिक भुगतान किये जाने संबंधी आदेश भी जारी कर सकेगा यदि किसी विशिष्ट प्रकरण में स्थाई अधिवक्ता द्वारा किया गया श्रम तथा लगाया गया समय, इसके योग्य पाया जाए ।
2. आयोग को समय–समय पर अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार होगा ।
3. सामान्यतः शुल्क का भुगतान अग्रिम तौर पर नहीं किया जाएगा । जब कभी भी अधिवक्ता को अग्रिम भुगतान की आवश्यकता हो, शुल्क का एक–तिहाई (⅓) अग्रिम भुगतान, जिसका कि वह अनुसूची में दर्शाये गये परिमाण (Scale) के अनुसार पात्रता रखता हो, अग्रिम के तौर पर भुगतान किया जा सकेगा ।

(छ) लंबित प्रकरणों में वचन बद्धता (engagement) समाप्त होने पर युक्तियुक्त शुल्क का भुगतान :

यदि स्थाई विधिक अधिवक्ता की वचनबद्धता उसके त्याग–पत्र के कारण अथवा आयोग द्वारा प्रकरण समाप्त किये जाने के कारण अथवा कालावधि की समाप्ति के कारण अथवा आयोग द्वारा स्थाई विधिक अधिवक्ता की सेवाएं समाप्त किये जाने के कारण हो तथा प्रकरण सम्प्रति लंबित हों तो ऐसी दशा में आयोग को ऐसे शुल्क को निर्धारित करने का पूर्ण स्ववेकाधिकार (discretion) होगा जैसा कि वह प्रकरण अथवा प्रकरणों में किये गये कार्य के संबंध में इस प्रकार समाप्त की गई सेवा की तिथि तक युक्तियुक्त समझे ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव

परिशिष्ट

आयोग से संबंधित प्रकरणों में नियुक्त किये गये अधिवक्ता को देय व्यावसायिक शुल्क की अनुसूची

सरल क्रमांक		विवरण (प्रकरण)	शुंल्क (रूपयों में)
i	1.	उच्च न्यायालयीन प्रकरणों में	अधिवक्ता हेतु 10,000/– तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु 20,000/–
	2.	न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) संबंधी प्रकरणों में	अधिवक्ता हेतु 10,000/– तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु 20,000/–
	3.	सर्वोच्च न्यायालयीन प्रकरणों में	अधिवक्ता हेतु 15,000/– तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु 20,000/–
ii	प्रत्येक प्रकरण में विविध व्ययों, जैसे कि वकालतनामा पर मुद्रांक (स्टैम्प), न्यायालयीन शुल्क, मुद्रलेखन (टाईपिंग) आदि हेतु रू. 500/– का भुगतान किया जावेगा ।		
iii	**यात्रा संबंधी व्यय**		
	अ)	वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु	वातानुकूल प्रथम श्रेणी
	ब)	अन्य अधिवक्ता हेतु	वातानुकूल द्वितीय श्रेणी
iv	**दैनिक भत्ते**		
	अ)	वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु	राज्य के बाहर रू. 700/– प्रति दिवस अथवा दिवस के किसी अंश हेतु तथा राज्य के अन्दर रू. 500/– प्रति दिवस अथवा दिवस के किसी अंश हेतु ।
	ब)	अन्य अधिवक्ता हेतु	राज्य के बाहर रू. 500/– प्रति दिवस अथवा दिवस के किसी अंश हेतु तथा रू. 300/– प्रति दिवस अथवा दिवस के किसी अंश हेतु ।
v	**अनुग्रह प्रभार (Accomodation Charges)**		
	अ)	वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु	आयोग के कार्यपालक अधिकारियों को स्वीकार्य अनुग्रह प्रभारों के समकक्ष, मूल रसीदों की प्रस्तुति के अध्यधीन
	ब)	अन्य अधिवक्ता हेतु	आयोग के वे अधिकारी जिनका वेतन रू.

			12000/– से अधिक न हो, को स्वीकार्य अनुग्रह प्रभारों के समकक्ष
	टीप : अनुग्रह प्रभारों, यात्रा व्ययों तथा दैनिक भत्तों के प्रयोजन हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता की परिभाषा, निम्नानुसार है : वरिष्ठ अधिवक्ता (Sr. Counsel) हेतु, जिसे माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता पदाभिहित किया गया हो ।		
vi	**सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थिति हेतु**		
	वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु		
	अ)	प्रभावी सुनवाई हेतु (For effective hearing)	रू. 7500/– प्रति उपस्थिति, एकल प्रकरण हेतु
	ब)		कुल रू. 11250/– (रू. 7,500/– + उपस्थित का 50 %, अर्थात् रू.3,750/–) प्रति उपस्थिति, इसी प्रकार के दो जुड़े (tagged)/संयोजित (clubbed) प्रकरणों में
	स)		कुल रू. 15,000/–, अर्थात् दो से अधिक जुड़े/संयोजित प्रकरणों में, एकल प्रकरण हेतु प्रति उपस्थिति से दुगुनी दर पर
	अ)	अप्रभावी सुनवाई हेतु (For non effective hearing)	रू. 1000/– प्रति उपस्थिति, एकल प्रकरण अथवा इससे अधिक जुड़े/संयोजित प्रकरणों में
	कनिष्ठ अधिवक्ता हेतु		
	अ)	प्रभावी सुनवाई हेतु	रू. 4500/– प्रति उपस्थिति, एकल प्रकरण हेतु
	ब)		कुल रू. 6750/– (रू. 4500/– + उपस्थित का 50 %, अर्थात् रू. 2250/–) प्रति उपस्थिति, इसी प्रकार के दो जुड़े (tagged)/संयोजित (clubbed) प्रकरणों में
	स)		कुल रू. 9,000/–, अर्थात् दो से अधिक जुड़े/संयोजित प्रकरणों में, एकल प्रकरण हेतु प्रति उपस्थिति से दुगुनी दर पर

	अ)	अप्रभावी सुनवाई हेतु	रू. 750/' प्रति उपस्थिति, एकल प्रकरण हेतु
	ब)		रू. 750/– प्रति उपस्थिति, दो अथवा दो से अधिक जुड़े/संयोजित प्रकरणों में
vii	**उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)/राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (National Tribunal) में उपस्थिति हेतु शुल्क**		
	वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु		
	अ)	प्रभावी सुनवाई हेतु	रू. 5,500/– प्रति उपस्थिति, एकल प्रकरण हेतु
	ब)		कुल रू. 8,250/– (रू. 5550/– + उपस्थित का 50 %, अर्थात् रू. 2,750/–) प्रति उपस्थिति, इसी प्रकार के दो जुड़े (tagged)/संयोजित (clubbed) प्रकरणों में
	स)		कुल रू. 11,000/–, अर्थात् दो से अधिक जुड़े/संयोजित प्रकरणों में, एकल प्रकरण हेतु प्रति उपस्थिति से दुगुनी दर पर
	अ)	अप्रभावी सुनवाई	रू. 1000/' प्रति उपस्थिति, एकल प्रकरण हेतु
	ब)		रू. 1000/– प्रति उपस्थिति, दो अथवा दो से अधिक जुड़े/संयोजित प्रकरणों में
	कनिष्ठ अधिवक्ता हेतु		
	अ)	प्रभावी सुनवाई हेतु	रू. 3500/– प्रति उपस्थिति, एकल प्रकरण हेतु
	ब)		कुल रू. 5250/– (रू. 3,500/– + उपस्थित का 50 %, अर्थात् रू. 1750/–) प्रति उपस्थिति, इसी प्रकार के दो जुड़े (tagged)/संयोजित (clubbed) प्रकरणों में
	स)		कुल रू. 7,000/–, अर्थात् दो से अधिक जुड़े/संयोजित प्रकरणों में, एकल प्रकरण हेतु प्रति उपस्थिति से दुगुनी दर पर

	अ)	अप्रभावी सुनवाई हेतु	रू. 750/– प्रति उपस्थिति, एकल अथवा इससे अधिक जुड़े/संयोजित प्रकरणों में